

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साइट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक :- एफ 55(SBM/CE/DLB/Idol Immersion/2018/ 68594-784 दिनांक :- 07/08/18

आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय :- "गणेश चतुर्थी एवं दुर्गापूजा" जैसे महोत्सवों के दौरान प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों के उपयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में।

प्रसंग :- पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प. 12(33) पर्या/2016 Dated 24 जुलाई 2018


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है; कि माननीय प्रधानमंत्रीजी ने 'मन की बात' में "गणेश चतुर्थी एवं दुर्गापूजा" जैसे महोत्सवों के दौरान प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों के उपयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में चिंता व्यक्त की गई थी। साथ ही समय समय पर केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा भी गणेश चतुर्थी एवं दुर्गापूजा पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के उपयोग नहीं करने का लिए निर्देश दिए जाते रहे हैं। (पत्र प्रति संलग्न है।)

प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों से ना केवल जल प्रदूषण होता है बल्कि इससे आमजन के स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट और प्लास्टिक से निर्मित मूर्तियों से नदिया, झील एवं जलीय जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं। साथ ही इनसे चर्म रोग एवं कर्क रोग भी होते हैं तथा ये मिट्टी की गुणवत्ता को भी कम कर देते हैं।

अतः आप अपने क्षेत्राधिकार में गणेश चतुर्थी एवं दुर्गापूजा जैसे महोत्सवों पर निम्नानुसार कार्यवाही अपनाया जाना सुनिश्चित करें।

1. "गणेश चतुर्थी एवं दुर्गापूजा" जैसे महोत्सव के दौरान प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट और प्लास्टिक से निर्मित मूर्तियों के उपयोग को बंद कराना सुनिश्चित करें।
2. पानी में आसानी से घुल जाने वाले तत्वों का उपयोग करे जिसमें कोई भी हानिकारक रंग ना हो।
3. मिट्टी से बनी मूर्तिया बनाने के लिए IEC एक्टिविटी करवाए जिसमें कोई भी हानिकारक रसायन नहीं हो।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार



(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :- एफ 55(SBM/CE/DLB/Idol Immersion/2018/ 68785-987
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक 07/08/18

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।

2. शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं सयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, समस्त नगर निगम/परिषद/पालिका, राजस्थान।
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय) समस्त स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
6. प्रोग्रामर निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।


(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

LW-1840/26
28/07/18

राजस्थान सरकार पर्यावरण विभाग

विषय:- 'गणेश चतुर्थी एवं दुर्गापूजा' जैसे महोत्सवों के दौरान प्लास्टर पेरिस से निर्मित मूर्तियों के उपयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 31.08.2016 एवं इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 17.10.2016, 22.08.2017 एवं 09.07.2018

CE
M
24/07/18

उपरोक्त विषयान्तर्गत 'गणेश चतुर्थी एवं दुर्गापूजा' जैसे महोत्सवों के दौरान प्लास्टर पेरिस से निर्मित मूर्तियों के उपयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 31.08.2016 की प्रति पुनः प्रेषित करते हुए आपका ध्यान Clay Idol Immersion के उपयोग के सम्बन्ध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी गाईडलाईन्स की पालना कराने हेतु आकर्षित किया जाता है।

इस क्रम में उल्लेखनीय है कि गणेश चतुर्थी एवं दुर्गापूजा के अवसर पर Plaster of paris से बने हुए Idols के उपयोग के सम्बन्ध में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा भी दिनांक 28.08.2016 को "मन की बात" में चिंता व्यक्त की गई थी।

अतः निवेदन है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी गाईडलाईन्स एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों की कठोरता से पालना कराने का कष्ट करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(Signature)
30/7

20/7/18
(आर.के. ग़ोवर)
शासन सचिव

Pr. prepare directions to all VAs
1/8/18

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
नगरीय विकास विभाग,
शासन सचिवालय,
जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव,
सिंचाई विभाग,
शासन सचिवालय,
जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव,
भू-जल विभाग,
शासन सचिवालय,
जयपुर।

शासन सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग,
शासन सचिवालय,
जयपुर।

अ.शा. टीप क्रमांक : प. 12(33) पर्या/2016
जयपुर, दिनांक 24-07-18

20/7/18
19-07-18